

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला वृन्दी

.....लक्षणा विद्..... बनाम ...सरकाट जयें तहसीलदार.....

किरम मुकदमा:- III, 128 LRA ct नं. 113 / प्रा० पत्र / सत्र / 2023-2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलज जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/9/23	प्रार्थना पत्र ससिले से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी नय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र वर्ज रजिस्टर किया जाये। अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 3/10/23 को पेश हो।	
3/10/23	पत्रावली पेश हुए अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रामा उपखण्ड अधिकारी समय कार्यवाही बाहर दोरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अतः गवनी साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10/11/23 को पेश हो	
10/11/23	पत्रावली पेश हुए अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रामा उपखण्ड अधिकारी समय कार्यवाही बाहर दोरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अतः गवनी साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/12/23 को पेश हो	
22/12/23	पत्रावली पेश हुए अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रामा उपखण्ड अधिकारी समय कार्यवाही बाहर दोरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अतः गवनी साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 26/12/23 को पेश हो	
26/12/23	पत्रावली पेश हुई पकील वाधी उपस्थित वकील प्रार्थी दाए प्रा० पत्र पेडा 31- भूमि ० प्लास. सोल्या नमा 91 वाके शाम जोतिन्दपुर वावडी पटवार मण्डल बल्लोप की पटवार गवनी कुमे ५१ नितेवम बियागमा प्रार्थी ५१ प्रा० पत्र दर्ज राजे ५१ तहसीलदार तालेडा से माँका रिपोर्ट ली जाई रिपोर्ट तहसील तालेडा अनुमा प्लास सं. 91 नमा वाके शाम जोतिन्दपुर वावडी पटवार मण्डल बल्लोप अनुमा ५१ प्लास धारक ही किन्तु प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रा० पत्र में समी रवातेदार को	Date

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
	<p>पक्षडा नही बनाया जाऊ स्वमं ह्या ही खाता है. १। केशव गोविन्द पुट बावडी ही पत्थरगढी कने का आवेदन विमा जमा अन्य खातेदारो की सहमति नही लेने से तहसीलदार दादा पत्थर गरी विद्या जाना सम्भव नही बताया जमर्प रिपोर्ट २२ ए एवं पञ्जवली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कने पा साधन मे आवश्यक पक्षडारो का कुसंयोजन पाया जमा अतः प्रायी का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षडारो के अभाव मे खारिज किया जाता है। पञ्जवली फैसल शुमाट होके नम्बर से कम है। बाद तहसील तहसील निममानुसार दायित्व दफ्तर है।</p>